फा.सं. : 1-6/हि.प्र.के.वि./सा.प्र./2010/खण्ड-XIV/2080 – 92

हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय

Central University of Himachal Pradesh

(सामान्य प्रशासन शाखा/General Administration Branch)

धर्मशाला-176215 **16 अप्रैल, 2021**

कार्यालय आदेश

राजस्व विभाग- आपदा प्रबंधन सैल, हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेश सं. Rev.(DMC)(C) 20-2/2021-COVID-19-III दिनांक 12.04.2021 में प्रदेश में स्थित समस्त शैक्षणिक संस्थानों को दिनांक 21.04.2021 तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है । उक्त निर्देश के अनुपालन में माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय में COVID-19 करोना महामारी संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-

i. विश्वविद्यालय में आगामी आदेशों तक 50% शिक्षकेतर स्टाफ ही एक समय में अपने-अपने कार्य स्थल / मुख्यालय में उपस्थिति दर्ज करेगा ।

ii. संबंधित विभाग / कार्यालय प्रमुख प्रति सप्ताह 50% शिक्षकेतर स्टाफ को ही कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करेंगे एवं शेष 50% स्टाफ दूसरे सप्ताह संबंधित कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा । इस संबंध में संबंधित नियंत्रक अधिकारी रोस्टर को तैयार करेंगे जिससे कि रोस्टर के अनुसार 50% शिक्षकेतर स्टाफ को प्रति सप्ताह कार्यालय में बुलाया जा सके ।

iii. शिक्षकेतर कर्मीगण यदि तय किये गये रोस्टर के अनुसार ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से नियमानुसार अवकाश प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

iv. कार्यालय आने वाले समस्त कर्मीगण COVID-19 कोरोना महामारी के संबंध में भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों की सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

v. संबंधित कार्यालय प्रमुख यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी कार्य उपेक्षित (Unattended) न रहे ।

vi. संबंधित कार्यालय प्रमुख सामाजिक दूरी को बनाये रखने के उद्देश्य से कार्यालय समय में परिवर्तन कर सकते हैं ।

vii. कार्यस्थल पर समस्त कर्मीगण सदैव फेस मास्क / फेस शील्ड पहन कर ही अपने सरकारी दायित्वों का निर्वह्न करेंगे । संबंधित कार्यालय प्रमुख इस निर्देश की अनुपालना सख्ती से सुनिश्चित करवायेंगे ।

viii. किसी संक्रमण से ग्रसित कर्मचारी, गर्भवती महिलाओं को आवश्यक एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है ।

ix. कोई भी शिक्षकेतर कर्मी सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानावकाश की स्वीकृति के बिना मुख्यालय को नहीं छोड़ेंगे एवं आवश्यकता पड़ने पर कर्मियों को कार्य स्थल / मुख्यालय पर उपस्थित देने हेतु निर्देश प्रदान किया जा सकता है ।

2. यह माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

(हेम राज)
कुलसचिव (अतिरिक्त प्रभार)

1. मानद निदेशक, हि.प्र.के.वि., सप्त सिंधु परिसर, देहरा, जिला कांगड़ा ।
2. विभिन्न स्कूलों के सभी अधिष्ठाता, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय ।
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय ।
4. वित्त अधिकारी, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धौलाधार परिसर, धर्मशाला ।
5. परीक्षा नियंत्रक, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कैंप कार्यालय, धर्मशाला ।
6. विभिन्न विभागों के सभी विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय ।
7. विभिन्न केन्द्रों के सभी निदेशक, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय ।
8. उप पुस्तकालय अध्यक्ष, हि.प्र.के.वि., अस्थायी शैक्षणिक खण्ड, शाहपुर, जिला कांगड़ा ।
9. पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रो. एस.आर. रंगनाथन पुस्तकालय, सप्त सिंधु परिसर, देहरा, जिला कांगड़ा ।
10. निदेशक, कंप्यूटर सेंटर, हि.प्र.के.वि., धौलाधार परिसर, धर्मशाला, जिला कांगड़ा ।
11. सिस्टम एनालिस्ट, हि.प्र.के.वि., धर्मशाला- कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट को अद्यतन करने एवं उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित ।
12. कुलपति, हि.प्र.के.वि. के निजी सचिव- कृपया माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ ।
13. विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकेतर कर्मीगण- कृपया उपर्युक्त वर्णित निर्देशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने के अनुरोध सहित ।

कुलसचिव (अतिरिक्त प्रभार)